

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-426 / 2010
संस्थित दिनांक-11.10.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. लक्ष्मण प्रसाद पुत्र कोमल रैकवार उम्र 37 साल
 2. चक्रेश पुत्र हजारीलाल जैन उम्र 39 साल
 3. असफाक पुत्र अख्तर खान उम्र 39 साल
 4. संजीव पुत्र रामकिशोर खरे उम्र 35 साल
- निवासीगण ग्राम प्राणपुर चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 24.01.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 332/34, 427, 336, 504 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 18.07.2010 को 15:30 बजे साथ ही राजघाट बोर्ड कॉलोनी में लोक सेवक फरियादी प्रदीप सिंह अ सा 03 के आवास के सामने सामान्य आशय का गठन कर उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया को लोक सेवक के नाते किये जा रहे कर्तव्य से निर्धारित करने के लिये उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं विद्युत मण्डल कार्यालय एवं सब स्टेशन में नुकसान कारित करने के आशय से कुर्सी, टेबिल, टेलीफोन आदि की तोड़फोड़ कर रिष्टी कारित कर एक राय होकर फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया को व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न करने के आशय से उपेक्षा एवं उताबलेपन से पत्थर फेंके एवं उसे इस आशय से प्रकोपित किया कि वह लोक शांति भंग करेगा अथवा अन्य कोई अपराध कारित करेगा।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-18.07.2010 को समय 03:30 बजे को लगभग दिन में लक्ष्मण प्रसाद रैकवार एस.डी.टी. वाला, चक्रेरी जैन, असफाक खां, संजीव खरे निवासी प्राणपुर ने अपने 15-20 साथियों के साथ विद्युत वितरण केंद्र के कार्यालय में घुसकर कुर्सी, टेबिल, एवं टेलीफोन की तोड़फोड़ कर दी साथ-साथ 33/11 के व्ही सब स्टेशन पर पथराव किया गया, उसी उपरांत उक्त नामदर्ज उपभोक्ता द्वारा उसके निवास परिसर राजघाट बोर्ड कालोनी में भीतर आकर प्रदीप सिंह भदौरिया मोटर साईकिल रोक कर उक्त सभी लोगों द्वारा पकड़ ली। प्रदीप सिंह भदौरिया चाटें व घूंसे से मारपीट की गई

साथ ही गाली-गलौच की गई तब प्रदीप सिंह भदौरिया अशफाक व अन्य साथियों को मोटरसाईकिल लेकर थाने की ओर आकर दोनों अपराधियों को थाना प्रभारी को सुपुर्द किया। फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में उपरोक्त घटना के संबंध में प्र0पी-05 का आवेदन सहित प्र0पी-01 का पंचनामा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-250/10 अंतर्गत धारा-353, 332, 336, 427, 504, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्र0पी0-10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03-अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

प्रि	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 18.07.2010 को 15:30 बजे साथ ही राजघाट बोर्ड कॉलोनी में लोक सेवक फरियादी प्रदीप सिंह के आवास के सामने सामान्य आशय का गठन कर उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया को लोक सेवक के नाते किये जा रहे कर्तव्य से निर्वारित करने के लिये उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर विद्युत मण्डल कार्यालय एवं सब स्टेशन में नुकसान कारित करने के आशय से कुर्सी, टेबिल, टेलीफोन आदि की तोड़फोड़ कर रिष्टी कारित की ?
3.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर कर एक राय होकर फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया को व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न करने के आशय से उपेक्षा एवं उताबलेपन से पत्थर फेंके ?

4.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को इस आशय से प्रकोपित किया कि वह लोक शांति भंग करेगा अथवा अन्य कोई अपराध कारित करेगा ?
5.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

05—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। फरियादी कनिष्ठ यंत्री प्रदीप सिंह भदौरिया (अ0सा0-03) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 18.07.2010 को दोपहर करीबन 02-03 बजे कुछ लोगों ने उसके ऑफिस में आकर तोड़फोड़ की थी तथा उसके बाद वहीं लोग सब स्टेशन में भी गये थे, और जब वहां पता चला कि मैं घर पर हू तो वह लोग उसके राजघाट कॉलोनी स्थित घर पर भी आये और घर पर आकर पत्थर फेंके व गाली-गलौच की थीं। फरियादी के अनुसार कुछ देर बाद जब वह मोटरसाईकिल घर से निकाल रहा था, तो कुछ लोगों ने पीछे उसे घूंसे मारे थे और उसकी मोटरसाईकिल गिर गई थी।

06—कनिष्ठ यंत्री प्रदीप सिंह भदौरिया (अ0सा0-03) ने अपने मुख्यपरीक्षण के कथनों में अभियोजन का इस बात पर तो समर्थन किया है कि दिनांक 18.07.2010 को कुछ लोगों ने एम.पी.ई.बी. के ऑफिस में तोड़-फोड़ की थी तथा सब स्टेशन भी पहुंचे थे एवं घर पर आकर उसके साथ भी गाली-गलौच की थी और पत्थर फेंके थे, परन्तु वह लोग अभियुक्तगण थे, इस संबंध में इस साक्षी का कहना है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण पत्थर फेंकने वालों के साथ थे अथवा नहीं। फरियादी के अनुसार उसने प्रदर्श-पी-05 कर लेखिये आवेदन पुलिस को अवश्य दिया था, परन्तु घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के नाम उसने अपने स्टॉफ और लाईन मैन् से पूछ कर लिखाये थे।

07—फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया के न्यायालय में दिये गये कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसने थाने पर जो आवेदन प्रदर्श-पी-05 में आरोपीगण के नाम लिखवाये थे, वह अपने स्टाफ व लाईन मैनों से पूछकर लिखाये थे, उसे स्वयं आरोपीगण के नाम याद नहीं है और न ही वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को पहचान कर यह कह सकता है कि घटना में उक्त लोग शामिल थे। अतः स्पष्ट है कि प्रदीप सिंह भदौरिया (अ0सा0-03) के अनुसार दिनांक

18.07.2010 को दिन में दो-तीन बजे एम.पी.ई.बी. कार्यालय में सब स्टेशन पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और विवाद अवश्य किया था तथा उसके घर पर आकर भी उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट की थी, परन्तु वह लोग अभियुक्तगण थे तथा अभियुक्तगण उन लोगों में शामिल थे, यह फरियादी बताने की स्थिति में नहीं है।

08-फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया (अ0सा0-03) अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण को जानना तो बताता है, परन्तु उक्त जान पहचान अभियुक्तगण के घटना घटित करने के कारण नहीं थी, यह साक्षी के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-02 में दिये गये कथनों से स्पष्ट होता है, जिसमें यह साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को चंदेरी में कार्य करने से जानता है तथा वह बताने की स्थिति में नहीं है कि घटना घटित करते समय आरोपीगण थे अथवा नहीं। यह उल्लेखनीय है कि प्रदीप सिंह भदौरिया (अ0सा0-03) के उपरोक्त कथनों में स्पष्ट विरोधाभास देखा जा सकता है, क्योंकि यदि चंदेरी में कार्य करने के दौरान वह आरोपीगण को पूर्व से जानता था, तो यदि वास्तव में आरोपीगण ने घटना घटित की होती एवं फरियादी के घर पर आकर पथराव कर एवं गाली-गलौच कर मारपीट की होती, तो फरियादी निश्चित रूप से उन्हें पहचान सकता था।

09-फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया (अ0सा0-03) का न्यायालय में अभियुक्तगण की पहचान न करना एवं अपने स्टॉफ के बताने अनुसार अभियुक्तगण के नाम प्रदर्श-पी-05 के आवेदन में लेख करना, जबकि स्वयं इस साक्षी के अनुसार वह चंदेरी में कार्य करने के दौरान अभियुक्तगण को पूर्व से जानता था, यह स्पष्ट करता है कि फरियादी के अनुसार या तो घटना में अभियुक्तगण शामिल नहीं थे या वह स्वयं ही अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कथन न्यायालय में देना नहीं चाहता है। इन दोनों ही स्थितियों में फरियादी के कथनों से यह तो स्पष्ट होता है कि दिनांक-18.07.2010 को एम.पी.ई.बी. कार्यालय में विद्युत सब स्टेशन व फरियादी के घर पर आकर कुछ लोगों ने दोपहर करीबन दो-तीन बजे विवाद कर तोड़-फोड़ की थी और फरियादी के साथ भी मारपीट की थी, परन्तु उक्त घटना अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई, यह फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया (अ0सा0-03) के कथनों से साबित नहीं होता है।

10-प्रदीप सिंह भदौरिया (अ0सा0-03) के अनुसार दिनांक 18.07.2010 को तीन स्थानों पर विवाद हुआ था, जिनमें विद्युत मण्डल कार्यालय, सब स्टेशन एवं फरियादी का स्वयं का घर था। विद्युत मण्डल कार्यालय व सब स्टेशन पर

हुई घटना के संबंध में प्रदीप सिंह (अ0सा0-03) का कहना है कि वह उस समय घर पर था और घर हुई घटना के अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई वह बताने की स्थिति में नहीं है।

11-विद्युत मण्डल कार्यालय में हुई घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन की ओर से कमल सिंह, (अ0सा0-01), संग्राम सिंह (अ0सा0-04), हरिराम (अ0सा0-05) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। जिनमें कमल सिंह व संग्राम सिंह लाईनमैन हैं व हरिराम लाईन हैल्पर के पद पर घटना के समय पदस्थ था। लाईन कमल सिंह (अ0सा0-01) ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होते हुये भी अभियोजन के विरुद्ध न्यायालय में कथन दिये हैं कि विद्युत मण्डल कार्यालय व सब स्टेशन पर हुई घटना के संबंध में उसे जानकारी नहीं है, वही उपयंत्री प्रदीप भदौरिया (अ0सा0-03) के साथ घटना दिनांक को हुई मारपीट व गाली-गलौच की घटना से ही इन्कार किया है। अतः इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

12-संग्राम सिंह (अ0सा0-04) व हरिराम (अ0सा0-05) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विरुद्ध अपने सामने कोई घटना घटित न होना बताया हैं तथा यह दोनों ही साक्षी यह कहते हैं कि उन्हें बाद में मालूम पड़ा था कि विद्युत स्टेशन पर तोड़-फोड़ और झगडा हुआ था। संग्राम सिंह (अ0सा0-04) का कहना है कि उसे नहीं पता है कि तोड़-फोड़ किसने की थी और न ही किसी ने उसे तोड़-फोड़ करने वालों के नाम बताये थे। हरिराम (अ0सा0-05) का कहना है कि उसके सामने आरोपीगण ने सब स्टेशन पर न तो पथराव किया और न ही सब इंजीनियर भदौरिया के साथ गाली-गलौच व मारपीट की। इस साक्षी का भी यही कहना है कि उसे आरोपीगण के द्वारा झगडा करने के बारे में बाद में पता चला था।

13-संग्राम सिंह (अ0सा0-04) व हरिराम (अ0सा0-05) विद्युत मण्डल कार्यालय में हुई घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। यह दोनों ही साक्षी अपने कथनों में यह स्वीकार करते हैं कि वह घटना के समय विद्युत मण्डल चंदेरी में पदस्थ थे, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों के कथनों से स्पष्ट होता है कि इन दोनों ही साक्षियों के समक्ष कोई घटना नहीं हुई तथा घटना के बारे में उन्हें बाद में जानकारी मिली थी। घटना किसने कारित की, इसकी जानकारी संग्राम सिंह (अ0सा0-04) को नहीं है। वहीं हरिराम (अ0सा0-05) बाद में आरोपीगण के द्वारा झगडा करने के बारे में पता चलाना बताता है, परन्तु उसे पता किस माध्यम

से चला यह कही भी इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया। संग्राम सिंह (अ0सा0-04) व हरिराम (अ0सा0-05) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन दोनों ही साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्ष विरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ अभियुक्तगण के विरुद्ध प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि विद्युत मण्डल कार्यालय में हुये पथराव व तोड़-फोड़ की घटना उसके सामने हुई थी तथा उक्त घटना अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई थी।

14-विद्युत मण्डल सब स्टेशन पर हुई घटना के साक्षी के रूप में सौभाग्य सिंह (अ0सा0-02) के कथन अभियोजन के द्वारा कराये गये हैं, परन्तु इस साक्षी ने अपने कथनों में यह तो स्वीकार किया है कि वह घटना के वर्ष को विद्युत मण्डल चंदेरी में लाईन मैन के पद पर पदस्थ था, परन्तु इस साक्षी का अभियोजन के विरुद्ध यह कहना है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई तथा उसे प्रदीप सिंह (अ0सा0-03) से घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। सौभाग्य सिंह (अ0सा0-02) अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी किये जाने के बाद यह तो स्वीकार करता है कि आरोपीगण भीड़ के साथ बिजली कटौती का विरोध करने के लिये विद्युत मण्डल कार्यालय चंदेरी में गये थे, परन्तु इस साक्षी के स्वयं के अनुसार एवं अभियोजन कहानी के अनुसार यह साक्षी घटना के समय विद्युत मण्डल कार्यालय में न होकर सब स्टेशन पर था। अतः स्पष्ट है कि कार्यालय में अभियुक्तगण की उपस्थिति के संबंध में इस साक्षी की साक्ष्य प्रत्यक्ष न होकर अनुश्रुत है, वहीं जहां यह साक्षी उपस्थित था, वहां पर अभियुक्तगण के द्वारा कोई घटना कारित न किया जाना बताता है।

15-अतः अभिलेख पर फरियादी सहित सभी साक्षियों की साक्ष्य का समग्र अध्ययन करने से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि दिनांक-18.07.2010 को कुछ लोगों ने विद्युत कटौती के विरोध में विद्युत मण्डल कार्यालय, सबस्टेशन पर एवं कनिष्ठ यंत्री प्रदीप सिंह भदौरिया के निवास पर आकर गाली-गलौच व विवाद किया था, एवं पत्थर फेंके थे व फरियादी की मोटरसाईकिल गिरा कर फरियादी के साथ मारपीट की थी, इस संबंध में फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया (अ0सा0-03) के द्वारा निश्चित रूप से अकाट्य व अखण्डित साक्ष्य दी गई है, परन्तु इस साक्षी के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विद्युत मण्डल कार्यालय एवं सब स्टेशन पर हुई घटना का यह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी है तथा स्वयं के साथ हुई मारपीट का जहां यह साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी है, परन्तु इस साक्षी का कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्तगण ने

ही उसके साथ घर पर आकर मारपीट कर मोटरसाईकिल पटकी थी और पथराव किया था।

- 16—प्रदीप सिंह (अ0सा0-03) न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को देखकर पहचान तक नहीं सका है कि वह घटना में शामिल था अथवा नहीं तथा वह प्र0पी-05 के आवेदन में अभियुक्तगण के नाम लाईन मैन से पूछकर लेख करना बताता है। विद्युत मण्डल कार्यालय में हुई घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन के अनुसार हरिराम (अ0सा0-05) कमल सिंह (अ0सा0-01) व संग्राम सिंह (अ0सा0-04) हैं, परन्तु यह तीनों ही साक्षी विद्युत मण्डल कार्यालय में अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई किसी भी घटना से इन्कार करते हैं तथा इन साक्षियों का कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्तगण ने उनके सामने कोई घटना कारित की। जबकि अभियोजन के अनुसार यह साक्षी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। विद्युत मण्डल सब स्टेशन पर हुई घटना का एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सौभाग्य सिंह (अ0सा0-02) है, परन्तु यह साक्षी भी सबस्टेशन पर हुई किसी भी घटना की जानकारी होने से इन्कार करता है। इस साक्षी ने हालांकि यह कथन अवश्य दिये है कि उसने सुना था कि आरोपीगण ने विद्युत कटोती के विरोध में जेई भदौरिया से विवाद किया था तथा कार्यालय भी पहुँचे थे, परन्तु इस घटना का वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी है। अतः इस साक्षी के भी कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ या उसके सामने कोई घटना कारित की थी।
- 17—प्रदीप सिंह (अ0सा0-03) स्वयं न्यायालय में अभियुक्तगण की पहचान नहीं कर सका है तथा लाईन मैन के बताये अनुसार प्र0पी0-05 के आवेदन में अभियुक्तगण के नाम लेख कराना बताता है, जबकि अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये कमल सिंह (अ0सा0-01) सौभाग्य सिंह (अ0सा0-02), हरिराम (अ0सा0-05) व संग्राम सिंह (अ0सा0-04) जो कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है का कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्तगण ने उसके सामने घटना कारित की या उन्होंने पुलिस को या फरियादी को अभियुक्तगण के नाम बताये।
- 18—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तो माना जा सकता है कि प्र0पी-01 के पंचनामा के अनुसार कुछ लोगों ने विद्युत मण्डल कार्यालय चंदेरी में एवं सब स्टेशन पर पथराव कर उपद्रव्य किया था तथा प्र0पी0-02 के पंचनामा के अनुसार उन्ही लोगो ने फरियादी को 7500/- रुपये का नुकसार किया था, परन्तु उक्त व्यक्ति जिन्होंने उक्त घटना कारित की, वह अभियुक्तगण थे, इस

संबंध में फरियादी सहित किसी भी साक्षी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करते हुये अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य न देने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना अभियुक्तगण के द्वारा कारित कर फरियादी को 7500/- रुपये की रिष्टी कारित की।

19—अभियोजन की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक रामदास (अ0सा0-08) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिसके द्वारा लेखिये आवेदन प्र0पी0-05 एवं पंचनामा प्र0पी0-01 के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कायमी कर प्र0पी0-10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है तथा जतन सिंह (अ0सा0-07) जो कि विद्युत मण्डल में कार्यालय सहायक वर्ग-02 के पद पदस्थ था के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि प्रदीप सिंह (अ0सा0-03) घटना के समय उपयंत्री थी एवं प्रकरण में अनुसंधान जंगबहादुर सिंह (अ0सा0-06) के द्वारा किया गया है, जिसकी पुष्टि इस साक्षी ने अपने कथनों की है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-10 अथवा आवेदन प्र0पी0-05 सहित अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रकरण की विवेचना में साक्षियों के धारा-161 द0प्र0स0 के तहत लिये गये कथन स्वतः ही किसी भी घटना का निश्चायक प्रमाण नहीं होते हैं, बल्कि घटना को साबित करने के लिये उक्त दस्तावेजों को मौखिक साक्ष्य से साबित करना होता है।

20—अभिलेख पर अभियोजन घटना के संबंध में अभियुक्तगण के घटना में संलिप्त होने के संबंध में स्वयं फरियादी सहित किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः प्रदीप सिंह (अ0सा0-03) की साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि दिनांक 18.07.2010 को कुछ लोगों के द्वारा विद्युत मण्डल कार्यालय सब स्टेशन एवं फरियादी के घर पर आकर उपद्रव्य कर तोड़-फोड़ की थी तथा फरियादी के साथ मारपीट भी की थी, परन्तु उक्त घटना अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई, यह साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होता है।

21—फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक-18.07.2010 को अभियुक्तगण ने 15:30 बजे फरियादी प्रदीप सिंह (अ0सा0-03) को इस आशय से प्रकोपित किया कि वह लोक शांति भंग करे तथा मानव जीवन संकटापित्त करते हुये उपेक्षा व उताबलेपन से उस पर पत्थर फेंके। अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि उक्त दिनांक समय

व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी प्रदीप सिंह (अ0सा0-03) के आवास के सामने सामान्य आशय का गठन कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी प्रदीप सिंह भदौरिया (अ0सा0-03) जो कि लोक सेवक था, उसे उसके द्वारा लोक सेवक के नाते किये जा रहे लोक कर्तव्य से निवारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं साथ ही विद्युत सबस्टेशन व कार्यालय में तोड़-फोड़ कर फरियादी को 50/- रुपये से अधिक मूल्य की रिष्टी कारित की।

22-फलतः अभियुक्तगण लक्ष्मण प्रसाद पुत्र कोमल रैकवार, चकेश पुत्र हजारीलाल जैन, असफाक पुत्र अख्तर खांन, संजीव पुत्र रामकिशोर खरे को भा0द0वि0 की धारा 332/34, 427, 336, 504 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण लक्ष्मण प्रसाद पुत्र कोमल रैकवार, चकेश पुत्र हजारीलाल जैन, असफाक पुत्र अख्तर खांन, संजीव पुत्र रामकिशोर खरे भा0द0वि0 की धारा 332/34, 427, 336, 504 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

23-धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

